भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 756
04 दिसंबर, 2025 को उत्तर देने के लिए

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण योजना के सामान्य अवसरंचना संघटक के लिए सहायता

†756. श्री बी. के. पार्थसारथी :

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण (पीएमएफएमई) योजना के सामान्य अवसरंचना संघटक के लिए सहायता के अंतर्गत निर्मित सामान्य अवसरंचना का जिला-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में इस संघटक के अंतर्गत प्राप्त, स्वीकृत और लंबित आवेदनों की राज्य-वार और आंध्र प्रदेश में जिला-वार संख्या कितनी है ;

(ग) देश में उक्त योजना के अंतर्गत पूर्ण की गई अवसरंचनाओं का राज्य-वार और आंध्र प्रदेश में जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) देश में राज्य-वार और आंध्र प्रदेश में जिला-वार कितनी राजसहायता प्रदान की गई है;

(ङ) क्या इस योजना के अंर्तगत कोई जागरूकता निर्माण तंत्र स्थापित किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) देश में इन तंत्रों के लिए राज्य-वार और आंध्र प्रदेश में जिला-वार उपलब्ध कराई गई निधि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण (पीएमएफएमई) योजना के तहत, सामान्य अवसंरचना बनाने के लिए क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी दी जाती है, जो पात्र परियोजना लागत का 35% है और ज़्यादा से ज़्यादा 3 करोड़ रुपये है। 31 अक्टूबर 2025 सामान्य अवसंरचना के तहत 101 ऋण मंज़ूर किए गए हैं। राज्य-वार और ज़िले-वार विवरण **अनुबंध I** में हैं।

(ख): पीएमएफएमई स्कीम के सामान्य अवसंरचना घटक के तहत 388 आवेदन मिले हैं, जिनमें से 101 आवेदकों को क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी के लिए ऋण मंजूर किए गए हैं और देश भर में 82 आवेदन लंबित हैं। आंध्र प्रदेश राज्य के लिए 15 आवेदन मिले हैं, जिनमें से 9 आवेदकों को क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी के लिए ऋण मंजूर किए गए हैं और 2 आवेदन लंबित हैं। आंध्र प्रदेश सहित राज्य-वार विवरण और आंध्र प्रदेश का ज़िले-वार विवरण **अनुबंध II (क) और (ख**) में हैं।

(ग): पीएमएफएमई स्कीम के सामान्य अवसंरचना सुविधा घटक के तहत देश भर में 38 परियोजना पूरी हो चुकी हैं। इनमें से 3 परियोजना आंध्र प्रदेश राज्य में पूरी हो चुकी हैं। आंध्र प्रदेश सहित राज्य-वार विवरण और आंध्र प्रदेश का ज़िले-वार विवरण **अनुबंध III (क) और (ख)** में हैं।

(घ): देश भर में पीएमएफएमई स्कीम के सामान्य अवसंरचना घटक के तहत 101 आवेदकों को 94 करोड़ रुपये की क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी मंज़ूर की गई है। इसमें से, आंध्र प्रदेश राज्य के लिए 1.38 करोड़ रुपये मंज़ूर किए गए हैं। आंध्र प्रदेश सहित राज्य-वार विवरण और आंध्र प्रदेश का ज़िले-वार विवरण **अनुबंध IV (क) और (ख)** में हैं।

(ङ): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) ने इस योजना की शुरुआत से ही इसके अपटेक में बढ़ोतरी करने और महिला समूहों और आम जनता सहित विभिन्न हितधारकों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए कई पहल / बड़े कदम उठाए हैं। इसके लिए अखबारों में विज्ञापन, रेडियो जिंगल्स, प्रदर्शनियां और एक्सपो, मेले, खरीदार-विक्रेता बैठकें आदि जैसे राष्ट्रीय और राज्य स्तर के जागरूकता अभियान चलाए गए हैं।

(च): पीएमएफएमई स्कीम के तहत आंध्र प्रदेश राज्य सहित स्कीम के विभिन्न घटकों को लागू करने के लिए 31 अक्टूबर 2025 तक केंद्र का हिस्सा 4306.4 करोड़ रुपये जारी किया गया है। राज्य-वार विवरण **अनुबंध V** में है।

****

अनुबंध ।

दिनांक 04.12.2025 को उत्तर हेतु “पीएमएफएमई योजना के सामान्य अवसंरचना घटक के लिए सहायता” के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 756 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

सामान्य अवसंरचना सुविधाओं के लिए राज्य/केंद्र शासित प्रदेश और ज़िलावार ऋण मंज़ूर किए गए

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र और जिले**	**स्वीकृत ऋण (संख्या)**
1	**आंध्र प्रदेश**	**9**
	अल्लूरी सीताराम राजू	1
	एलुरु	3
	गुंटूर	1
	काकीनाडा	1
	विशाखापत्तनम	1
	विजयनगरम	1
	पश्चिम गोदावरी	1
2	**बिहार**	**1**
	बेगूसराय	1
3	**छत्तीसगढ**	**1**
	बस्तर	1
4	**हरियाणा**	**2**
	करनाल	1
	सिरसा	1
5	**कर्नाटक**	**6**
	बेलगावी	1
	बेंगलुरु शहरी	1
	दक्षिण कन्नड़	1
	दावणगेरे	1
	मंड्या	1
	उडुपी	1
6	**केरल**	**1**
	इडुक्की	1
7	**महाराष्ट्र**	**57**
	अहमदनगर	6
	बीड	1
	बुलढाना	2
	चंद्रपुर	1
	छत्रपति संभाजीनगर	1
	धुले	1
	हिंगोली	1
	जलगांव	1
	कोल्हापुर	5
	लातूर	1
	नागपुर	1
	नासिक	4

	पुणे	2
	रत्नागिरि	5
	सांगली	5
	सतारा	7
	सिंधुदुर्ग	5
	सोलापुर	5
	ठाणे	1
	वर्धा	2
8	**पुदुचेरी**	**1**
	पांडिचेरी	1
	पंजाब	**4**
	बठिंडा	1
	होशियारपुर	1
	मनसा	2
9	**तमिलनाडु**	**9**
	चेन्नई	2
	कुड्डालोर	2
	धर्मपुरी	2
	करूर	1
	तिरुवन्नामलाई	2
10	**तेलंगाना**	**2**
	करीमनगर	1
	राजन्ना सिरसिला	1
11	**उत्तर प्रदेश**	**8**
	देवरिया	1
	फर्रुखाबाद	1
	फतेहपुर	1
	गाजीपुर	1
	कुशी नगर	2
	महाराजगंज	1
	सीतापुर	1
	कुल योग	**101**

अनुबंध II (क)

दिनांक 04.12.2025 को उत्तर हेतु "पीएमएफएमई योजना के सामान्य अवसंरचना घटक के लिए सहायता" के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 756 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के अनुसार प्राप्त, लंबित और मंज़ूर हुए आवेदनों की विवरण

क्र.सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	प्राप्त	लम्बित	ऋण स्वीकृत
1	आंध्र प्रदेश	15	2	9
2	बिहार	18	1	1
3	छत्तीसगढ	8	5	1
4	हरियाणा	9	1	2
5	कर्नाटक	13	2	6
6	केरल	7	2	1
7	महाराष्ट्र	204	41	57
8	पुदुचेरी	1	0	1
9	पंजाब	16	8	4
10	तमिलनाडु	20	3	9
11	तेलंगाना	7	1	2
12	उत्तर प्रदेश	70	16	8
	कुल योग	**388**	**82**	**101**

अनुबंध II (ख)

दिनांक 04.12.2025 को उत्तर हेतु "पीएमएफएमई योजना के सामान्य अवसंरचना घटक के लिए सहायता" के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 756 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

आंध्र प्रदेश राज्य के लिए प्राप्त, लंबित और मंज़ूर हुए आवेदनों का ज़िलेवार विवरण

क्र.सं.	जिला	प्राप्त	लम्बित	ऋण स्वीकृत
1	अल्लूरी सीताराम राजू	2	0	1
2	एलुरु	3	0	3
3	गुंटूर	3	0	1
4	काकीनाडा	2	0	1
5	विशाखापत्तनम	1	0	1
6	विजयनगरम	2	1	1
7	पश्चिम गोदावरी	2	1	1
कुल योग		**15**	**2**	**9**

अनुबंध III (क)

दिनांक 04.12.2025 को उत्तर हेतु "पीएमएफएमई योजना के सामान्य अवसंरचना घटक के लिए सहायता" के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 756 के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

31 अक्टूबर 2025 तक पूरी की गई परियोजनाओं का राज्यवार विवरण

क्र.सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	पूरी की गई परियोजनाएँ
1	आंध्र प्रदेश	3
2	बिहार	0
3	छत्तीसगढ	0
4	कर्नाटक	1
5	महाराष्ट्र	26
6	पुदुचेरी	0
7	पंजाब	0
8	तमिलनाडु	1
9	तेलंगाना	1
10	उत्तर प्रदेश	6
	कुल	**38**

अनुबंध III (ख)

दिनांक 04.12.2025 को उत्तर हेतु "पीएमएफएमई योजना के सामान्य अवसंरचना घटक के लिए सहायता" के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 756 के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

आंध्र प्रदेश राज्य के लिए पूरी की गई परियोजनाओं का ज़िलेवार विवरण

क्र.सं.	**जिलों**	**पूरी की गई परियोजनाएँ**
1	गुंटूर	1
2	काकीनाडा	1
3	विशाखापत्तनम	1
	कुल	**3**

अनुबंध IV (क)

दिनांक 04.12.2025 को उत्तर हेतु "पीएमएफएमई योजना के सामान्य अवसंरचना घटक के लिए सहायता" के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 756 के भाग (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

31 अक्टूबर 2025 तक मंज़ूर की गई राज्यवार सब्सिडी का विवरण

क्र.सं.	राज्य	कुल स्वीकृत सब्सिडी (करोड़ रुपये में)
1	आंध्र प्रदेश	1.39
2	बिहार	0.2
3	छत्तीसगढ	0.21
4	हरियाणा	3.62
5	कर्नाटक	5.89
6	केरल	0.77
7	महाराष्ट्र	57.94
8	पुदुचेरी	0.11
9	पंजाब	3.25
10	तमिलनाडु	13.08
11	तेलंगाना	1.4
12	उत्तर प्रदेश	6.59
	कुल	**94.45**

अनुबंध IV (ख)

दिनांक 04.12.2025 को उत्तर हेतु "पीएमएफएमई योजना के सामान्य अवसंरचना घटक के लिए सहायता" के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 756 के भाग (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

आंध्र प्रदेश राज्य के लिए 31 अक्टूबर 2025 तक मंज़ूर की गई ज़िलेवार सब्सिडी का विवरण

क्र.सं.	**राज्य**	**कुल स्वीकृत सब्सिडी (करोड़ रुपये में)**
1	अल्लूरी सीताराम राजू	0.14
2	एलुरु	0.29
3	गुंटूर	0.09
4	काकीनाडा	0.04
5	विशाखापत्तनम	0.06
6	विजयनगरम	0.70
7	पश्चिम गोदावरी	0.06
		1.38

अनुबंध V

दिनांक 04.12.2025 को उत्तर हेतु "पीएमएफएमई योजना के सामान्य अवसंरचना घटक के लिए सहायता" के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 756 के भाग (च) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

31.10.2025 तक जारी किए गए केंद्र के हिस्से के निधि की राज्य-वार विवरण

क्र.सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	केंद्र का हिस्सा (करोड़ रुपये में)
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	4.47
2	आंध्र प्रदेश	185.83
3	अरुणाचल प्रदेश	36.62
4	असम	198.16
5	बिहार	364.39
6	चंडीगढ़	2.21
7	छत्तीसगढ	45.04
8	दादर एवं नगर हवेली और दमन और दीव	1.43
9	दिल्ली	7.71
10	गोवा	14.94
11	गुजरात	61.08
12	हरियाणा	73.93
13	हिमाचल प्रदेश	112.70
14	जम्मू और कश्मीर	46.55
15	झारखंड	59.22
16	कर्नाटक	272.77
17	केरल	167.10
18	लद्दाख	7.06
19	लक्षद्वीप	1.01
20	मध्य प्रदेश	263.53
21	महाराष्ट्र	646.25
22	मणिपुर	16.23
23	मेघालय	24.37
24	मिजोरम	20.67
25	नागालैंड	30.67
26	ओडिशा	140.58
27	पुदुचेरी	9.45
28	पंजाब	199.88
29	राजस्थान	83.22
30	सिक्किम	26.79
31	तमिलनाडु	362.19
32	तेलंगाना	202.75
33	त्रिपुरा	28.49
34	उत्तर प्रदेश	510.98
35	उत्तराखंड	43.97
36	पश्चिम बंगाल	33.78
	कुल	**4,306.04**